

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(आर-514 / 2023) / अलेसे-II / 9967 दिनांक :- 27/11/25

कार्यालय आदेश

श्री रवि कुमार मीना, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) रोल नं.-768474 को कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति, बारां के पत्र क्रमांक 597-98 दिनांक 07.08.2025 के द्वारा अग्रेषित प्रार्थना-पत्र के आधार पर एवं वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर की डायरी संख्या 2481 दिनांक 28.10.2025 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में राजस्थान सेवा नियम खण्ड-प्रथम के नियम-96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं दिनांक 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 07.05.2025 से 18.06.2025 तक कुल 43 दिवस

उक्त 43 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री रवि कुमार मीना, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें। उपरोक्तानुसार स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि तक के लिए कार्मिक के परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जाएगी।

(संध्या शर्मा)
26/11/2025

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)(आर-514 / 2023) / अलेसे-II / 9967 दिनांक :- 27/11/25
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति, बारां ।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय ।
- 3 श्री रवि कुमार मीना, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) रोल नं.-768474 कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति, बारां ।
- 4 उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 रक्षित/निजी पत्रावली ।

(सीमा कौशल)
26/11/25
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)